<u>न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद,</u> <u>जिला भिण्ड (म.प्र.)</u>

प्रकरण क्रमांक :- 459 / 16 ई.फौ.

संस्थित दिनांक : 12.03.15

फाईलिंग नम्बर 230303012572015

बनवारी लाल पुत्र धनीराम आयु 42 वर्ष, जाति—जाटव निवासी— ग्राम हरीराम का पुरा कॉलौनी मजरा मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

----परिवादी

बनाम्

सुनील कुमार परांजय पुत्र श्रीगोविन्द मोरेश्वर परांजये आयु 50 वर्ष, जाति— मराठा, निवासी— छत्री बाजार टकसाल रोड़ लेडीज पार्क के सामने थाना लक्ष्मीगंज ग्वालियर म.प्र.

----अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा

138 परकाम्य लिखत अधिनियम

परिवादी द्वारा

श्री ओ०पी० गुप्ता, अधिवक्ता

आरोपी द्वारा

श्री प्रवीण गुप्ता, अधिवक्ता

::- निर्णय -::

[आज दिनांक 23.04.2018 को घोषित]

आरोपी के विरूद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र इस प्रकार है कि, परिवादी ग्राम हिराम का पुरा थाना मालनपुर का निवासी है एवं आरोपी ग्वालियर का निवासी है एवं अनमोल सहारा कंपनी लिमिटेड ग्वालियर का कारोबार करता है। परिवादी कंपनी का एजेंट है तथा कंपनी का डायरेक्टर है। परिवादी को अभियुक्त ने प्राप्त व्यय रकम के लिए दिनांक 30.12.2013 को अपने खाते का एक्सिस बैंक लिमिटेड तीन लाख रूपए का चैंक क0 021275 प्रदान किया था। परिवादी ने दिनांक 28.02.2014 को उक्त चैक भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालनपुर में प्रस्तुत किया था, जो कि आरोपी के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण अपर्याप्त निधि की टीप के साथ उसे दिनांक 04.03.2014 को बापिस प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात् परिवादी ने अभियुक्त से मौखिक रूप से चैक की राशि का भुगतान नहीं होने के संबंध में कहा था तो अभियुक्त ने परिवादी को पुनः चैक लगाने के लिए कहा था। तब अभियोगी ने दिनांक 19.03.2014 को पुनः भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालनपुर में भुगतान हेतु चैक प्रस्तुत किया था जो कि परिवादी को दिनांक 24.03.2014 को अपर्याप्त निधि की टीप के साथ बापिस प्राप्त हो गया था अर्थात् चैक अनाद्रत हो गया था। परिवादी को अभियुक्त

से रकम प्राप्त करनी थी जिसके एबज में पॉलिसी के भुगतान हेतु आरोपी ने परिवादी को दिनांक 30.12.2013 को चैक प्रदान किया था। तत्श्चात् परिवादी ने दिनांक 27.03.2014 को अपने अभिभाषक के माध्यम से चैक की राशि का मांग पत्र आरोपी को भेजा था जो कि आरोपी को दिनांक 31.03.2014 को प्राप्त हो गया था। आरोपी ने मांग का सूचना प्राप्त होने के बाद भी पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर चैक की राशि का भुगतान नहीं किया था। अतः आरोपी के विरुद्ध परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

- 3. परिवाद पत्र और संलग्न दस्तावेजों के परिशीलन से आरोपी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद का संज्ञान लिया गया है एवं आरोपी की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।
- 4. तामील उपरांत आरोपी के न्यायालय में उपस्थित होने पर आरोपी के विरूद्ध परकाम्य में लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रतिरक्षा चाही है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 5. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि उसने परिवादी को कोई चैक नहीं दिया था वह निर्दोष है । उसे प्रकरण में झुठा फंसाया गया है।
- 6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :--
- [1]— क्या आरोपी ने दिनांक 30.12.2013 को परिवादी से विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व को उन्मोचित किये जाने के लिये अपने बैंक खाते का चैक क्रमांक 021275 राशि तीन लाख रूपये का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया ?
- {2}— क्या विवादित चैक परिवादी द्वारा भुगतान हेतु बैंक में विधिमान्य अविध में प्रस्तुत किया गया और उक्त चैक अनादृत हुआ ?
- [3]— क्या परिवादी द्वारा विवादित चैक के अनादृत होने की वैधानिक सूचना विहित समयाविध में आरोपी को दी गई ?
- [4]— क्या विवादित चैक के अनादृत होने की सूचना प्राप्त होने पर भी समय सीमा में आरोपी ने चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया ?
- 7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी बनवारी लाल अ0सा01 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है, जबकि बचाव के दौरान आरोपी की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

//निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण// _// विचारणीय प्रश्न कमांक—2//

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि क्या विवादित चैक विधिमान्य अविध के अन्दर भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया एवं उक्त चैक अनादृत हुआ? उक्त संबंध में परिवादी वनवारी लाल अ०सा० 1 ने अपने शपथ पत्र में यह व्यक्त किया है कि उसने प्र0पी० 1 का चैक भुगतान हेतु दिनांक 28.02. 2014 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालनपुर में प्रस्तुत किया था जो कि एक्सिस बैंक लिमिटेड मुरैना की दिनांक 01.03.2014 की अपर्याप्त निधि की टीप के साथ बापिस होकर

उसे दिनांक 04.03.2014 को प्राप्त बापिस प्राप्त हुआ था। उक्त संबंध में बैंक का ज्ञापन प्र0पी0 2 है। तत्पश्चात् उसने आरोपी से मौखिक रूप से चैंक की राशि का भुगतान नहीं होने के संबंध में कहा था तो आरोपी ने उसे पुनः चैंक लगाने के लिए कहा था। परिवादी ने दिनांक 19.03.2014 को पुनः भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालनपुर में प्र0पी0 1 का चैंक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया था। उक्त रसीद प्र0पी0 3 है, जो कि दिनांक 21.03.2014 के एक्सिस बैंक की अपर्याप्त निधि की टीप के साथ उसे दिनांक 24.03.2014 को बापिस कर दिया गया था। उक्त संबंध में बैंक का ज्ञापन प्र0पी0 4 है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त बिन्दु पर परिवादी बनवारी लाल अ0सा0 1 का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया हे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान परिवादी बनवारीलाल का उक्त कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

- 9. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि परिवादी द्वारा प्र0पी0 1 का चैक दो बार भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है अतः प्रस्तुत परिवाद प्रचलन योग्य नहीं है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि चैक वैद्यता की तिथि तक कितनी भी बार भुगतान हेतु बैंक में पेश किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत सेन्द्रल बैंक और इंडिया विरुद्ध सैक्सोंस फर्म 2000(1) एम0पी0एल0जी0 149 भी अवलोकनीय है।
- 10. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्र0पी0 1 के चैक पर तिथि दिनांक 30.12.2013 अंकित है एवं प्र0पी0 3 की बैंक रसीद के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि प्र0पी0 1 का चैक परिवादी द्वारा दिनांक 19.03.2014 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालनपुर में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा प्र0पी0 4 के बैंक के ज्ञापन से यह भी दर्शित है कि उक्त चैक अनाद्रत होकर परिवादी को बापिस प्राप्त हो गया था। आरोपी की ओर से उक्त सभी तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है।
- 11. इस प्रकार प्र0पी0 1 प्र0पी0 3 एवं प्र0पी0 4 के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्र0पी0 1 का चैक बैंक में चैक की विधिमान्य अविध तीन माह के अंदर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था एवं प्र0पी0 4 के ज्ञापन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त चैक क. 21275 अपर्याप्त निधि के कारण अनादृत होकर परिवादी को वापस प्राप्त हुआ था अतः परिवादी द्वारा इस विचारणीय प्रश्न के संबंध में दी गयी साक्ष्य पर आरोपी की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण न किये जाने से यह विचारणीय प्रश्न इस रूप में प्रमाणित पाया जाता है कि चैक कमांक 21275 परिवादी द्वारा भुगतान किये जाने हेतु बैंक में विधिमान्य अविध में प्रस्तुत किया गया था और उक्त चैक भुगतान न होने से अनादृत हो गया था।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 3//

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी बनवारीलाल (अ०सा०1) ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने प्रदर्श पी० 4 का ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात् अपने अभिभाषक के माध्यम से आरोपी को दिनांक 27.03.2014 को रिजस्टर्ड डाक से चैक की राशि की मांग का सूचना पत्र भेजा था। उक्त सूचना पत्र का मसौदा प्र0पी० 5 जिसकी रिजस्ट्री रसीद प्र0पी० 6 है। उक्त सूचना पत्र आरोपी को प्राप्त हो गया था। जिसकी जानकारी उसने डाक घर से ली थी। उक्त जानकारी प्र0पी० 7 है। प्रतिपरीक्षण के पद क० 9 में उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने आरोपी को नोटिस दिनांक 27.03.2014 को दिया था एवं उसने आरोपी को रूपए जमा करने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया था। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु आरोपी से प्रदर्श पी 5 के सूचना पत्र एवं प्र0पी० 6 की रसीद तथा प्र0पी० 7 की जानकारी के संबंध में कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

13. इस प्रकार परिवादी बनवारीलाल अ०सा० 1ने प्रदर्श पी 4 का ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात् आरोपी को प्रदर्श पी 5 का सूचना पत्र रिजस्टर्ड डाक से भेजा जाना बताया है। प्रदर्श पी 5 के सूचना पत्र एवं प्रदर्श पी 6 की रिजस्टर्ड डाक की रसीद से यह दर्शित होता है कि प्रदर्श पी 5 का सूचना पत्र परिवादी द्वारा आरोपी को दिनांक 27.03.2014 को भेजा गया था। आरोपी की ओर से उक्त तथ्य को कोई खण्डन नहीं किया गया है। आरोपी का ऐसा कहना भी नहीं है कि प्रदर्श पी 5 के सूचना पत्र पर उसका सही पता अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में जबिक आरोपी द्वारा प्रदर्श पी 5 के सूचना पत्र के संबंध में कोई आपित प्रकट नहीं की गयी है तो यही माना जायेगा कि परिवादी द्वारा आरोपी को प्रदर्श पी 5 का सूचना पत्र सही पते पर भेजा गया था एवं प्र0पी० 7 की स्टेशन मास्टर गोहद द्वारा दी गई जानकारी से यह भी स्पष्ट है कि प्र0पी० 5 का सूचना पत्र आरोपी को दिनांक 31.03.2014 को प्राप्त हो गया था।

14. अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी ने प्रदर्श पी0 4 का ज्ञापन उसे दिनांक 24.03.2014 को बापिस प्राप्त होना बताया है, यद्यपि प्र0पी0 के ज्ञापन पर दिनांक 21.03.2014 अंकित है। यदि यह भी मान लिया जाये कि परिवादी को प्र0पी0 4 के ज्ञापन दिनांक 21.03.2014 को बापिस प्राप्त हुआ था तो भी परिवादी द्वारा प्र0पी0 5 का सूचना पत्र दिनांक 27.03.2014 को आरोपी को भेजा गया था जिसकी रजिस्टर्ड डाक रसीद प्र0पी0 6 है। प्रदर्श पी 6 की रजिस्टर्ड डाक की रशीद में भी सूचना पत्र भेजे जाने की तिथि दिनांक 27.03.2014 अंकित है। इस प्रकार प्रदर्श पी0 4, प्रदर्श पी0 5 एवं प्रदर्श पी0 6 के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि परिवादी ने बैंक से ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात् अधिनियम में विहित समयाविध के अंदर आरोपी को चैक की राशि की मांग का सूचना पत्र भेजा था। फलतः समग्र अवलोकन से यह भी प्रमाणित है कि परिवादी ने विवादित चैक के अनादृत होने की सूचना विहित समयाविध के भीतर आरोपी को दे दी थी।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 4//

15. इस विचारणीय प्रश्न में न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि, क्या चैक अनादृत होने की सूचना की प्राप्ति पर आरोपी ने समय सीमा के अंदर, चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया ? इस विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी बनवारीलाल अ.सा. 1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पद क. 5 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी ने सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात् भी उसे विवादित चैक की राशि अदा नहीं की है।

16. परिवादी के इस कथन का आरोपी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है एवं ना ही आरोपी का ऐसा कहना है कि उसने सूचना पत्र प्राप्ति के बाद विवादित चैक की राशि का भुगतान परिवादी को कर दिया है। फलतः यह विचारणीय प्रश्न इस रूप में परिवादी के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी ने विवादित चैक के अनादृत होने के पश्चात् परिवादी से वैधानिक सूचना प्राप्त होने पर भी समय सीमा में चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है।

// विचारणीय प्रश्न कमांक-1//

17. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी बनवारीलाल अ0सा0 1 ने अपने परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचनित किया है कि वह अनमोल सहारा कंपनी में एजेंट का कार्य करता था तथा आरोपी अनमोल सहारा कंपनी ग्वालियर का डायरेक्टर था। आरोपी ने परिवादी को प्राप्त व्यय रकम में से तीन लाख रूपए का चैक क0 021275 एक्सिस बैंक लिमिटेड मुरैना का दिनांक 30.12.2013 को अपने खाते का प्रदान किया था जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क0 8 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह आरोपी की अनमोल सहारा कंपनी

प्राईवेट लिमिटेड में कार्य करता था, वह उक्त कंपनी में एजेंट का कार्य करता था और लोगों का बीमा करता था। वह किस्तों की रकम को अनमोल सहारा कंपनी में केशियर पर जमा करता था। आरोपी उक्त कंपनी में डायरेक्टर था। वह नहीं जानता कि प्राप्तवय रकम क्या होती है। पद क0 9 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी से उसे लोगों की किश्तों के तीन लाख रूपए की रकम लेनी थी इसीलिए आरोपी ने उसे तीन लाख रूपए का चैक दिया था। पद क0 10 में उक्त साक्षी का कहना है कि जिस समय आरोपी ने उसे चैक दिया था उस समय अनमोल सहारा कंपनी बंद हो गई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 30.12.2013 को दिये गये चैक से पहले ही कंपनी बंद हो गई थी। पद क0 11 में उक्त साक्षी का कहना है उसकी आरोपी की कंपनी में स्वयं की पॉलिसी थी, जो कि 240 माहवार एवं 100 रूपए माहवार की थी तथा एक एफडी 10,000 / – रूपए की थी। उसने स्वयं की 100 रूपए वाली पॉलिसी में 29-30 किश्तें एवे 240 वाली पॉलिसी में 25-26 किश्तें जमा की होगी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी दोनों पॉलिसी एवं दस हजार रूपए की एफड़ी को मिलाकर तीन लाख रूपए की धनराशि आरोपी पर नहीं निकलती है। पद क0 14 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी पर तीन लाख रूपए बकाया नहीं था एवं यह स्वीकार किया है कि उसने पॉलिसी धारकों से रूपए लेकर एजेंट की हैसियत से जमा कराये थे, वह सभी रूपए मिलाकर तीन लाख रूपए होते हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पॉलिसी के मैच्योर होने पर कंपनी के द्वारा सीधा चैक पॉलिसी होल्डर के नाम बनाया जाता है एवं यह भी स्वीकार किया है कि कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को चैक नहीं दिया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि चैक पॉलिसी होल्डर के नाम से ही आना चाहिए था। पद क0 12 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे किसी भी पॉलिसी होल्डर ने रूपया बसूली बावत परमीशन नहीं दी थी।

- 18. तर्क के दौरान परिवादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने उसे ऋण एवं दायित्व के उन्मोचन में तीन लाख रूपए का चैक दिया था जबिक बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी द्वारा परिवादी को कोई चैंक नहीं दिया गया था परिवादी द्वारा आरोपी को असत्य रूप से अपराध में संलिप्त किया गया है।
- 19. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी बनवारीलाल अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह अनमोल सहारा कंपनी में एजेंट का कार्य करता था एवं आरोपी उक्त कंपनी में डायरेक्टर था तथा आरोपी ने उसे प्राप्तवय रकम में से तीन लाख रूपए का प्र0पी० 1 का चैक दिनांक 30.12.2013 को दिया था। परिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी से उसे लोगों के किश्तों की तीन लाख रूपए की रकम लेनी थी, इस कारण आरोपी ने उसे प्र0पी०1 का चैक दिया था। इस प्रकार परिवादी बनवारीलाल अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने उसे प्र0पी० 1 का चैक लोगों के किश्तों की अदायगी हेतु प्र0पी० 1 का चैक दिया था। परन्तु परिवादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन लोगों की किश्तों की अदायगी उसे लेनी थी। परिवादी बनवारीलाल अ०सा० 1 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने पॉलिसी धारकों के रूपए लेकर एजेंट की हैसियत से रूपए जमा कराये थे, उक्त रूपए कुल मिलाकर तीन लाख रूपए थे तथा यह भी स्वीकार किया है कि कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को चैक नही दिया था, चैक पॉलिसी होल्डर के नाम से आना चाहिए था।
- 20. परिवादी बनवारीलाल अ0सा0 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने एजेंट की हैसियत से पॉलिसी होल्डर की तरफ से जो रूपए अनमोल सहारा कंपनी में जमा कराये थे, उन रूपयों की अदायगी हेतु आरोपी ने उसे प्र0पी0 1 का चैक दिया था। परिवादी बनवारीलाल अ0सा0 1 के उक्त कथन से यह तो स्पष्ट है कि परिवादी बनवारीलाल अ0सा0 1 की स्वयं की कोई राशि आरोपी पर देय नहीं थी। जहां तक पॉलिसी होल्डर की राशि का

प्रश्न है तो नियमानुसार चैक पॉलिसी होल्डर के नाम से ही होना चाहिए था। परिवादी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने किन—किन व्यक्तियों को पॉलिसी दिलायी थी। परिवादी द्वारा उक्त संबंध में पॉलिसी बॉन्ड भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। परिवादी द्वारा यह तो व्यक्त किया गया है कि उसने पॉलिसी होल्डर की तरफ से आरोपी से प्र0पी0 1 का चैक लिया था परन्तु परिवादी द्वारा उन पॉलिसी होल्डर्स को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसा प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि परिवादी पॉलिसी होल्डर की तरफ से आरोपी से रूपए लेने के लिए अधिकृत था। परिवादी बनवारीलाल अ0सा0 1 द्वारा यह तो व्यक्त किया गया है कि उसने पॉलिसी धारकों से जो रूपए लेकर एजेंट की हैसियत जमा कराये थे वह सभी रूपए कुल मिलाकर तीन लाख होते थे परन्तु उक्त संबंध मे कोई दस्तावेज, कोई पॉलिसी परिवादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि परिवादी द्वारा एजेंट की हैसियत से तीन लाख रूपए अनमोल सहारा कंपनी में जमा कराये गये थे।

- परिवादी बनवारीलाल अ०सा० 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा असल बॉन्ड प्रकरण में प्रस्तृत नहीं किये गये हैं तथा व्यक्त किया गया है कि फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है परन्तु फोटो प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त फोटो प्रतियों से परिवादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। परिवादी बनवारीलाल अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने पॉलिसी धारकों की तरफ से तीन लाख रूपए का प्र0पी0 1 का चैक लिया था परन्तु परिवादी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि पॉलिसी धारकों द्वारा परिवादी को पॉलिसी की राशि लेने के लिए अधिकृत किया गया था। जहां तक परिवादी बनवारीलाल अ०सा० 1 की स्वयं की पॉलिसी का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादी बनवारीलाल अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क० 11 में स्वयं यह व्यक्त किया है कि उसने आरोपी की कंपनी में सौ रूपए प्रतिमाह, दो सौ चालीस रूपए प्रतिमाह की पॉलिसी ली थी एवं एक दस हजार रूपए की एफ0डी0 थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसकी दोनों पॉलिसी एवं दस हजार रूपए की एफ0डी0 को मिलाकर भी तीन लाख रूपए की धनराशि आरोपी पर नहीं निकलती है तथा प्रतिपरीक्षण के पद कृ0 14 में यह भी स्वीकार किया है कि पॉलिसी के मैच्योर होने पर चैक सीधा पॉलिसी होल्डर के नाम से बनाया जाता है तथा यह भी स्वीकार किया है कि चैक पॉलिसी होल्डर के नाम से ही आना चाहिए था।
- 22. इस प्रकार परिवादी बनवारीलाल अ0सा0 1 द्वारा स्वयं यह व्यक्त किया गया है कि उसे आरोपी से तीन लाख रूपए नहीं लेने थे। परिवादी बनवारीलाल अ0सा0 1 द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से यह तो स्पष्ट है कि परिवारी बनवारीलाल की कोई राशि आरोपी पर देय नहीं थी। आरोपी की ओर से यह बचाव लिया गया है कि परिवादी ने आरोपी धोखे से चैक प्राप्त किया था। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्र0पी0 1 का चैक आरोपी की ओर से जारी किया गया था। चूंकि प्र0पी0 1 का चैक आरोपी की ओर से जारी किया जाना आवश्यक है इसीलिए न्यायालय को अब इस संबंध में धारा 139 परकाम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा पर विचार करना है।
- 23. धारा 139 में यह व्यक्त किया गया है कि जब तक अन्यथा साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 में विनिर्दिष्ट किसी ऋण अथवा दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बैध रूप से बसूली योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व प्रमाणित करने का प्रारम्भिक भाग परिवादी का होता है। धारा 139 की उपधारणा के कारण इस प्रमाण भार का दायित्व समाप्त नहीं होता है। न्यायदृष्टांत रंगप्पा विरूद्ध मोहन ए०आई०आर० 2010

एस0सी0 1898 में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 139 की उपधारणा में वैध रूप से बसूली योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व में होना शामिल होता है। यदि चैक प्रतिफल के जारी हो जाना प्रमाणित होता है तब इसके विपरीत प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर होता है। न्यायदृष्टांत रेवरेंड मदर मारिये कुट्टी विरूद्ध रेनी सी कोट्टारम् २०१३ (१) एस०सी०सी० ३२७ में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 139 एवं 118 परकाम्य लिखत अधिनियम की उपधारणाओं के खण्डन के लिए और प्रतिफल का अस्तित्व नासाबित करने के अभियुक्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य देना आवश्यक नहीं होता है। अधिसंम्भावनाओं की प्रबलता का अनुमान अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और परिस्थितियों से भी लगा सकते हैं। उक्त बिन्दू पर न्यायदृष्टांत कुमार एक्सपोर्ट्स विरूद्ध शर्मा कारपेट्स (2009)2 एस0सी0सी0 513 भी अवलोकनीय है जिसमें परिवादी के अनुसार अभियुक्त द्वारा चैक वूलन कारपेट्स खरीदने के क्रम में जारी किये गये थे जो अनादरित हुए। अभियुक्त ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके यह दर्शाया कि परिवादी ने विक्रय कर विभाग में यह घोषित किया है कि सुसंगत वर्ष अर्थात 1994-95 में वूलन कारपेट्स की कोई बिकी नहीं हुई थी अतः इन परिस्थितियों में यह पाया गया कि अभियुक्त ने परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 की उपधारणा को खण्डित किया था और इस प्रमाण भार को उन्मोचित किया था कि कोई ऋण या दायित्व नहीं था। न्यायदृष्टांत कमला विरुद्ध विद्याधरन एम०जे० (२००७)५ एस०सी०सी० २६४ में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 139 एवं 118 परकाम्य लिखत अधिनियम की उपधारणाऐं खण्डित हुई या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भय करता है। ये उपधारणाएं युक्तियुक्त संदेह से परे खण्डित करना आवश्यक नहीं होता है। यह उपधारणाएं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और परिस्थितियों से भी खण्डित हो सकती हैं।

24. इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांतों से यही प्रकट होता है कि परिवादी को वैध रूप से बसूली योग्य ऋण अथवा दायित्व का अस्तित्व साबित करना होता है एवं वैध रूप से बसूली योग्य ऋण अथवा दायित्व को साबित करने का भार पूर्णतः परिवादी पर होता है इसके पश्चात् ही खण्डन का भार आरोपी पर आता है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी बनवारीलाल अ०सा० 1 द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया गया है कि उसकी आरोपी पर तीन लाख रूपए की धनराशि नहीं निकलती है। अतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी पर परिवादी के तीन लाख रूपए की धनराशि देय नहीं थी एवं आरोपी द्वारा किसी ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन के लिए परिवादी के हित में प्र0पी० 1 का चैक जारी नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से परिवादी प्रतिफल का अस्तित्व प्रमाणित करने में असफल रहा है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा किसी ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन के लिए प्र0पी० 1 का चैक जारी किया गया था।

25. फलतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 30.12.2013 को परिवादी से विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व को उन्मोचित किये जाने के लिये अपने बैंक खाते का चैक क्रमांक 021275 राशि तीन लाख रूपये का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया। ऐसी स्थिति में परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के संगठक पूर्ण नहीं होते है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

26. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से परिवादी संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 30.12.2013 को परिवादी से विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व को उन्मोचित किये जाने के लिए अपने बैंक खाते का चैक क0 021275 राशि तीन लाख रूपए का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया था। फलतः यह न्यायालय आरोपी सुनील को संदेह का लाभ देते हुए उसे परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

27. आरोपी निरोध में है, उसे स्वतंत्र किया जावे।

28. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान:-गोहद दिनांक:- 23/04/18 निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद,जिला भिण्ड (म0प्र0) मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

THIS PARENT SUNT